क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रयोगशाला
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़
REGIONAL OFFICE & LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, ALIGARH

पत्रांक 1903/OA No - 390/2022/23 दिनांक 19.12.23

सेवा में,

रजिस्ट्रार महोदय,
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
फरीदकोट हाउस, कापरनिकस मार्ग1
दिल्ली–110001

विषयः–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 संख्या–390/2022 बन्टी बनाम उ0 प्र0 सरकार व अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 संख्या–390/2022 बन्टी बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.10.2023 जिसकी आगामी सुनवाई तिथि 21.12.2023 नियत है। उक्त पारित आदेश के अनुक्रम में ईंट भट्ठे को स्थलीय निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 02.11.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा बन्दी आदेश के अनुपालन में बन्द पाया गया **(संलग्नक–1)**। पूर्व में ईंट भट्ठा के विरूद्ध बन्दी आदेश प्रभावी होने के उपरान्त भी ईंट भट्ठे का संचालन किये जाने के कारण ईंट भट्ठे के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 5,37,500/– बोर्ड द्वारा अधिरोपित की गयी थी **(संलग्नक–2)**। ईंट भट्ठा स्वामी द्वारा ईंट भट्ठे के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 रू0 5,37,500/– जमा नही किया गया है। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि की वसूली भू–राजस्व की भांति किये जाने हेतु जिलाधिकारी, हाथरस को इस कार्यालय के पत्र संख्या–3010 दिनांक 25.02.2023 एवं पत्र संख्या–1899 दिनांक 19.12.2023 के माध्यम से प्रेषित किया गया है. **(संलग्नक–3)**।

उपरोक्त समस्त प्रपत्रों एवं निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ की प्रति पत्र के साथ संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डॉ0 [signature] सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. मुख्य विधि अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. श्री प्रदीप मिश्रा, बोर्ड अधिवक्ता, बी–235, सेक्टर–19, नोएडा।

क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
जे-1, ज्ञान सरोवर कॉलोनी, रामघाट रोड, अलीगढ़

संलग्नक-1

पत्रांक 1606/OA No-390/22/23 दिनांक 10-11-23

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4)
उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 संख्या– 390/2022 बन्टी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.10.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 संख्या–390/2022 बन्टी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, उक्त के अनुपालन में ईट भट्ठा मै0 जशोदा ईंट उद्योग, ग्राम–नगला बरी, पट्टी देवरी, पोस्ट–पुरदिलनगर, हसायन रोड, तहसील–सिकन्दराराऊ, जनपद–हाथरस का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 02.11.2023 को किया गया। ईट भट्ठे की निरीक्षण आख्या पत्र के साथ संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही सादर प्रेषित।

संलग्नक :उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डॉ0 जे0पी0 सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को निरीक्षण आख्या की प्रति सहित सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 मुख्य विधि अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।
2 श्री प्रदीप मिश्रा, बोर्ड अधिवक्ता, बी–235, सेक्टर–19, नोएडा।

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

शोदा ईट उद्योग, ग्राम–नगला बरी, पट्टी देवरी, पोस्ट–पुरादिलनगर, हसायन रोड, तहसील–सिकन्दराराऊ, जनपद–हाथरस

निरीक्षण आख्या:–

उपरोक्त ईट भट्टे का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 02.11.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा प्रतिनिधि के रूप में श्री मोहित कुमार (प्रोपराइटर) उपस्थित थे। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है–

1. उक्त ईट भट्ठे का प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ.ए. संख्या–390/2022 बन्टी बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. एवं ओ.ए. संख्या–837/2022 सुन्तेरा सिंह यादव बनाम उ.प्र. प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड व अन्य में विचाराधीन है।
2. कार्यालय अभिलेखानुसार ईंट भट्ठे की उत्पादन क्षमता–20,000 ईंट/दिन का है। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा संचालित नही पाया गया। ईट भट्ठा नैचुरल ड्राफ्ट पद्धति पर स्थापित है।
3. कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त ईट भट्ठे वर्ष–2020 से स्थापित है।
4. उक्त ईट भट्ठे को राज्य बोर्ड से सहमति (जल/वायु) प्राप्त नही है।
5. निरीक्षण के समय ईट भठ्ठा 23 पाये, घाटी 09 का पाया गया। ईट भट्ठे का अण्डाकार आकार पाया गया। ईट भट्ठे की चिमनी वृत्ताकार पायी गयी।
6. ईंट भट्ठे द्वारा मिट्टी, बालू एवं पानी को मुख्य कच्चे माल के रूप में प्रयोगकर पथाई एवं पकाई आदि प्रक्रिया द्वारा ईंट का उत्पादन किया जाना है।
7. ईंट भट्ठा में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन एवं कच्ची ईंट बनाने हेतु मिट्टी मिक्सिंग में किया जाता है।
8. ईंट भट्ठे में उत्पादन प्रक्रिया से औद्योगिक उत्प्रवाह जनित नहीं होता है। मात्र घरेलू उत्प्रवाह जनित होता है, जिसके निस्तारण हेतु सैप्टिक टैंक/सोकपिट की स्थापना की गयी है।
9. ईंट भट्ठे में ईंधन के रूप में कोयले का प्रयोग लगभग 3 टन/दिन किया जाता है। ईंट भट्ठे में कोयले के दहन से जनित उत्सर्जन के निस्तारण हेतु भू–तल से लगभग 30 मीटर ऊँची पक्की चिमनी स्थापित किया गया है।
10. निरीक्षण के समय ईंट भट्ठे की चिमनी पर फ्लू गैसों के अनुश्रवण हेतु सीढी, प्लेटफार्म एवं पोर्टहोल की व्यवस्था स्थापित नही पायी गयी।
11. निरीक्षण के समय ईट भट्ठे के परिसर में हरित पट्टिका का विकास होते हुए नही पाया गया।
12. बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच62624/सी–4/ईट–528/बन्दी/2021 दिनांक 22.06.2021 एवं पत्र संख्या–H63515/C-4/Ge-II-756/Closure/2021 दिनांक 16.07.2021 के माध्यम से बन्दी आदेश जारी किये गये है, जो वर्तमान में प्रभावी है। बन्दी आदेश के अनुसार ईट भट्ठा उ0प्र0 ईट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली–2012, दिनांक 27.06.2012 की गाइडलाइन के अनुरूप नही है।
13. उक्त ईट भट्ठा को कार्यालय उपजिलाधिकारी, सिकन्दराराऊ, हाथरस द्वारा प्रेषित पत्र संख्या–501/एस0टी0–2022 दिनांक 10.04.2022 के माध्यम से अवगत कराया गया कि उक्त ईट भट्ठे को बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ द्वारा जारी बन्दी आदेश के अनुक्रम में नायब तहसीलदार एवं पुलिस के साथ पूर्णतः बन्द करा दिया गया है, छायाप्रति संलग्न है।
14. सन्दर्भित ईट भट्ठे के विरूद्ध इस कार्यालय के पत्र संख्या–1334 दिनांक 05.09.2022 के माध्यम से रू0 5,37,500/– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को प्रेषित की गयी है।
15. बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या–एच83001/सी–4/ईट–528/पर्या0क्षति0/2022 दिनांक 13.10.2022 के माध्यम से रू0 5,37,500/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है। ईट भट्ठे के द्वारा वर्णित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि जमा किये जाने की सूचना इस कार्यालय में नही दी गयी है।
16. इस कार्यालय के पत्र संख्या–1453 दिनांक 25.10.2023 के माध्यम से अध्यक्ष महोदय, बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के द्वारा जारी कार्यालय आदेश संख्या–58/अध्यक्ष कैम्प/2023 दिनांक 17.10.2023 के अनुपालन में उक्त ईट भट्ठा पर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि की वसूली हेतु भू राजस्व की भांति आर.सी. (रिकवरी सर्टीफिकेट) जारी किये जाने के लिए जिलाधिकारी महोदय, हाथरस को पत्र प्रेषित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

(जितेन्द्र कुमार शर्मा)
प्रयोगशाला सहायक

(अजय कुमार)
सहा0पर्या0 अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

16/5/22

कार्यालय उपजिलाधिकारी सिकन्दराराऊ(हाथरस)।

दिनांक 15 अप्रैल,2022

पत्रांक 501 /एस0टी0–2022

जिलाधिकारी
हाथरस।

महोदय,

कृपया सादर अवगत कराना है कि प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्र के कम में नायब तहसीलदार सिकन्दराराऊसे स्थलीय जॉच करायी गयी। स्थलीय निरीक्षण के दौरान जशोदा ईट उद्योग , नगला वरी प0देवरी पुरदिलनगर हसायन मार्ग पर स्थित के स्वामी श्री मोहित कुमार पुत्र नरेन्द्र सिंह निवासी उमरावपुर थाना हसायन से विभागीय अनुमति/एन0ओ0सी0 उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया परन्तु सम्बन्धित द्वारा किसी प्रकार की एन0ओ0सी0 उपलब्ध न कराये जाने के कारण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अलीगढ़ को प्रेषित पत्र के साथ संलग्नकों सहित सूचित किया गया। जिसमें क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश नियंत्रण बोर्ड , अलीगढ़ के कार्यालय पत्र संख्या 79/एच.जे.–37 दिनांक 11.04.2022 के द्वारा ईट भट्टा द्वारा मा0उच्च न्यायालय में रिट की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में आख्या बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या 1152 दिनाक 01.10.2021 एवं पत्र संख्या–1197 दिनांक 08.10.2021 के माध्यम से सूचना प्रेषित की गयी है कि वर्तमान में ईट भट्ठे के विरुद्ध बन्दी आदेश प्रभावी हैं।

नायब तहसीलदार एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए नायब तहसीलदार सिकन्दराराऊ , तहसीलदार सिकन्दराराऊ व एस0एच0ओ0 सिकन्दराराऊ/हसायन एवं पुलिस क्षेत्राधिकारी सिकन्दराराऊव अधोहस्ताक्षरी की उपस्थिति में जशोदा ईट उद्योग , नगला वरी प0देवरी पुरदिलनगर हसायन मार्ग पर स्थित, को समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर दिनांक 12.04.2022 को सील कर भट्ठे स्वामी अनुपस्थित रहने के कारण श्री देवेन्द्र सिंह की सुपुर्दगी में देते हुए निर्देशित किया गया कि भट्ठे पर ईट निर्माण एवं ईट पकाने का कार्य अग्रिम आदेशों तक बन्द रहेगा। अनुपालन न करने दशा में सम्बन्धित सुपुर्दगार के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करा दी जायेगी।

अतः उपरोक्तानुसार सूचना सादर प्रेषित है।

(अंकुर वर्मा)
उपजिला मजिस्ट्रेट
सिकन्दराराऊ।

प्रतिलिपिः क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रयोगशाला , उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अलीगढ़ को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उपजिलामजिस्ट्रेट
सिकन्दराराऊ।

16/5/22

संलग्नक-2

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पंजीकृत 13-10-22

पत्रांक H83009/सी–4/ईंट–528/पर्या0क्षति0/2022, दिनांक :

डाक प्राप्ति रसीद
प्राप्ति दिनांक 21/10/22
प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़

सेवा में,

मै0 जशोदा ईंट उद्योग,
ग्राम–पुरदिलनगर, हसायन रोड, तहसील–सिकन्दराराऊ,
जनपद–हाथरस।

विषय : पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

राज्य बोर्ड से पूर्व सहमति स्थापनार्थ (एन0ओ0सी0) एवं सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये बिना ईंट भट्ठा मै0 जशोदा ईंट उद्योग, ग्राम–पुरदिलनगर, हसायन रोड, तहसील–सिकन्दराराऊ, जनपद–हाथरस की स्थापना/संचालन कर लिये जाने के कारण बोर्ड के पत्रांक एच62624/सी–4/ईंट–528/बंदी/2021 दिनांक 22.06.2021 एवं H63515/C-4/Gen-II-756/Closure/2021 दिनांक 16.07.2021 द्वारा ईंट भट्ठा मै0 जशोदा ईंट उद्योग, ग्राम–पुरदिल नगर, हसायन रोड, तहसील–सिकन्दराराऊ, जनपद–हाथरस के विरूद्ध वायु (वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अंतर्गत बन्दी आदेश जारी किये गये हैं।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ के प्राधिकारियों द्वारा प्रश्नगत ईंट भट्ठे का निरीक्षण दिनांक 01.09.2022 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार ईंट भट्ठे का स्थल उ0प्र0 ईंट भट्ठ (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 दिनांक 27.06.2012 की गाइडलाइन के अनुरूप नहीं है। उपजिलाधिकारी, सिकन्दराराऊ, हाथरस द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 14.04.2022 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि बोर्ड द्वारा जारी बन्दी आदेश के अनुक्रम में उक्त ईंट भट्ठे को नायब तहसीलदार एवं पुलिस के साथ पूर्णतः बन्द करा दिया गया है। दिनांक 01.09.2022 को किये गये निरीक्षण के समय प्रश्नगत ईंट भट्ठा पूर्ण रूप से बन्द पाया गया। ईंट भट्ठा प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि ईंट भट्ठे का संचालन दिनांक 01.03.2022 से किया गया है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा पत्रांक 1334/एचजे–37/2022 दिनांक 05.09.2022 के माध्यम से प्रेषित आख्या में ईंट भट्ठे के विरूद्ध ईंट भट्टा संचालन के प्रथम दिवस दिनांक 01.03.2022 से प्रशासन द्वारा पूर्ण रूप से बन्द कराये जाने के दिनांक 12.04.2022 तक कुल 43 उल्लंघन दिवसों हेतु रू0 12,500/– प्रतिदिन की दर से कुल रू0 5,37,500/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति दिनांक 05.09.2022 के अनुक्रम में मै0 जशोदा ईंट उद्योग, ग्राम–पुरदिलनगर, हसायन रोड, तहसील–सिकन्दराराऊ, जनपद–हाथरस द्वारा बन्दी आदेश दिनांक 16.07.2021 का उल्लंघ कर अवैध रूप से किये गये संचालन के दृष्टिगत प्रश्नगत ईंट भट्ठे के विरुद्ध दिनांक 01.03.2022 से दिनांक 12.04.2022 तक कुल 43 उल्लंघन दिवसों हेतु रू0 12,500/– प्रतिदिन की दर से कुल रू0 5,37,500/– (रूपये पॉच लाख, सैतीस हजार, पॉच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित की गयी धनराशि रू0 5,37,500/– (रूपये पॉच लाख, सैतीस हजार, पॉच सौ मात्र) को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के बैंक खाता सं0–701502010002104 IFSC Code UBINO570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कराना सुनिश्चित करें। जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ एवं बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को भी प्रेषित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

(प्रदीप शर्मा)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

AE/E 21-10-22

प्रतिलिपि : क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

टी.सी.–12वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेबसाइट–www.uppcb.com

T.C.-12V., Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
E-mail: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com

67

संलग्नक-3

क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रयोगशाला
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़
REGIONAL OFFICE & LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, ALIGARH

पत्रांक 3010/OA-390/22/2023

दिनांक 25.02.23

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हाथरस।

विषयः–मै0 जशोदा ईंट उद्योग, ग्राम–पुरदिलनगर, हसायन रोड, तहसील–सिकन्दराराऊ, जनपद–हाथरस के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि की वसूली/जमा कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सन्दर्भित ईंट भट्ठा मै0 जशोदा ईंट उद्योग, ग्राम–पुरदिलनगर, हसायन रोड, तहसील–सिकन्दराराऊ, जनपद–हाथरस को बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच83001 दिनांक 13.10.2022 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 5,37,500=00 अधिरोपित की गयी है। उक्त ईंट भट्ठा द्वारा अभी तक पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 5,37,500=00 जमा नहीं किया गया है। अग्रेतर अवगत कराना है कि उक्त ईंट भट्ठे का प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ओ0ए0 संख्या–390/2022 बन्टी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में विचाराधीन है, जिसमें मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा समय–समय पर सुनवाई की जा रही है।

उक्त ईंट भट्ठे के विरूद्ध बोर्ड मुख्यालय से जारी पर्यावरण क्षतिपूर्ति दिनांक 13.10.2022 की छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू0 5,37,500=00 को भू–राजस्व वसूली की धारा के अनुरूप वसूली करने एवं वसूली की गयी धनराशि को उक्त पत्र में उल्लेखित यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के बैक खाता संख्या–701502010002104 IFSC Code-UBINO570150 में जमा कराये जाने के सम्बन्ध में भू–राजस्व विभाग/उपजिलाधिकारी, सिकन्दराराऊ को निर्देशित करने की कृपा करें, जिससे कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि जमा किये जाने के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को अवगत कराया जा सके।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डॉ0 जे0पी0 सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. मुख्य विधि अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

k;kZy; ,irk%ts&1] Kku ljksoj dkWyksuh] jke?kkV jksM] vyhx<+&202001 Phone & Fax : 0571 2743521

क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रयोगशाला
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़
REGIONAL OFFICE & LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, ALIGARH

पत्रांक 1099/OG-25/प्र्प्त/क्षतिपूर्ति

दिनांक 19.12.23

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हाथरस।

अनुस्मारक–1

विषयः–**मै0 जशोदा ईंट उद्योग, ग्राम–पुरदिलनगर, हसायन रोड, तहसील–सिकन्दराराऊ, जनपद–हाथरस के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को भू–राजस्व की भांति वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सन्दर्भित ईंट भट्ठे के विरूद्ध बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या–एच 83001 दिनांक 13.10.2022 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 5,37,500/– अधिरोपित की गयी है। उक्त ईंट भट्ठे द्वारा अभी तक पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 5,37,500/– जमा नहीं किया गया है। उक्त ईंट भट्ठे के विरूद्ध प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–390/2022 बन्टी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में विचाराधीन है, जिसकी मा0 एनजीटी द्वारा समय–समय पर सुनवाई की जा रही है। उक्त ईंट भट्ठे के विरूद्ध बोर्ड मुख्यालय से जारी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति दिनांक 13.10.2022 की छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न कर पूर्व में इस कार्यालय के पत्र संख्या–3010 दिनांक 25.02.2023 के माध्यम से भू–राजस्व की भांति वसूली करने हेतु अनुरोध किया गया था। परन्तु अभी तक पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि की वसूली के सम्बन्ध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं हो पायी है।

अतः पुनः आपसे अनुरोध है कि उक्त ईंट भट्ठे विरूद्ध बोर्ड मुख्यालय से जारी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति दिनांक 13.10.2022 की छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू0 5,37,500/– को भू–राजस्व वसूली की धारा के अनुरूप वसूली करने एवं वसूली की गयी धनराशि को उक्त पत्र में उल्लेखित यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के बैंक खाता संख्या–701502010002104 IFSC Code-UBINO570150 में जमा कराये जाने के सम्बन्ध में भू–राजस्व विभाग/उपजिलाधिकारी, सिकन्दराराऊ, को निर्देशित करने की कृपा करें, जिससे कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि जमा किये जाने के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को अवगत कराया जा सके।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डॉ0 जे0पी0 सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

प्रतिलिपिः–मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

tude: 27.64267
gitude: 78.35661
ation: 179.92±74 m
uracy: 184.0 m
e: 02-11-2023 14:35
Jashoda ent odhyog purdil nagar sikandra Rao